| राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

आश्विन 4, गुरुवार, शाके 1935–सितम्बर 26, 2013
Asvina 4, Thursday, Saka 1935–September, 26, 2013

सत्यमेव जयते


**भाग 4 ( ग )**

**उप-खण्ड (I)**

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

## विधि एवं विधिक कार्य विभाग

## अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 25, 2013**

**जी.एस.आर. 162** – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 6 का प्रतिस्थापन.** – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**6. धारा 6 की उप-धारा ( 5 ) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती.**- (1) राज्य प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) सदस्य-सचिव और उप सचिव को छोड़कर, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 के उपबन्ध और उसके अधीन जारी आदेश इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें

नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश से राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा और सीधी भर्ती या पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उसमें किसी प्राधिकारी, अधिकारी या समिति के निर्देशों से प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी या राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके अधिकारियों या सदस्यों में से इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि राज्य प्राधिकरण के पदों और राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 के अधीन के पदों के बीच नाम पद्धति का कोई अन्तर है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष पदों की समतुल्यता के प्रश्न को विनिश्चत करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगा।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013; के प्रारम्भ की तारीख पर ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो किसी पद पर तदर्थ/स्थानापत्र/अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे हैं, राज्य प्राधिकारण द्वारा गठित समिति द्वारा छंटनी की जायेगी बशर्ते कि वे नियमों में विहित अर्हता या ऐसी विहित अर्हता रखते हो जिसके आधार पर ये व्यक्ति तदर्थ / स्थानापन्न / अस्थाई नियुक्ति के लिए चयनित किये गये थे।

(4) यदि राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त नियमों को कार्यान्वित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज–पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके लागू करने के लिए ऐसे और उपान्तरण कर सकेगा जैसा परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो।''

**3. नियम 9 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 9 के विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में इन नियमों से संलग्न अनुसूची–ख में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।''

**4. नियम 11 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

**''11 धारा 9 की उप-धारा ( 5 ) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती.**– (1) जिला प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची–ग में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येग प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और ऐसी भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक स्थान नियम, 1986के उपबन्ध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें ''राजस्थान उच्च न्यायालय'' और ''जिला एवं सत्र न्यायाधीश'' के निर्देशों से क्रमश: ''राज्य प्राधिकरण'' और ''जिला प्राधिकरण'' के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा।''

**5. नियम 14 कप प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**14. धारा 11क की उप-धारा ( 3 ) के अधीन ताल्लुक विधि सेवा समिति के कर्मचारियों की संरचना, संख्या और नियुक्ति.**– ताल्लुक विधि सेवा समिति में इन नियमों से निम्न अनुसूची – घ में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये। ताल्लुक विधि सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।''

**6. अनुसूची का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

## ''अनुसूची-क

### राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

### ( नियम 6 और 7 देखिए )

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सदस्य सचिव | वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है। | 1 | – |
| 2. | उप सचिव | वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है। | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें। | राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा |
| 3. | निजी सचिव | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 4. | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | सहायक लेखाधिकारी | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा |
| 6. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | सूचना प्रौद्यागिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के स्थानान्तरण द्वारा |
| 7. | वैयक्तिक सहायक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 8. | कार्यालय अधीक्षक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 9. | लेखाकार | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा |
| 10. | कार्यालय सहायक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 11. | कनिष्ठ लेखाकार | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये जायें | राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | आशुलिपिक ग्रेड – (II) | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 13. | वरिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 14. | कनिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 15. | ड्राइवर | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 16. | मशीन मैन | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 17. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |
| 18. | स्वीपर | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें | – |

# अनुसूची - ख

## उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

( नियम 9 देखिए )

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति | वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा |
| 2. | आशुलिपिक ग्रेड-II | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 3. | वरिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 4. | कनिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 5. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |

# अनुसूची - ग

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

( नियम 11 और 12 देखिए )

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा |
| 2. | कार्यालय अधीक्षक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 3. | आशुलिपिक ग्रेड-II | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 4. | वरिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 5. | कनिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 6. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | स्वीपर | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |

## अनुसूची - घ

### ताल्लुक विधिक सेवा समिति

### ( नियम 14 और 15 देखिए )

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कनिष्ठ लिपिक | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |
| 2. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है | जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें | - |

[संख्या एफ.8 (2) विधि-2/13]

राज्यपाल के आदेश से

प्रकाश गुप्ता

प्रमुख शासन सचिव,

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

एवं विधि परामर्शी,

राजस्थान जयपुर।